

राजस्थान सरकार

खात उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर०ए०एस०

संख्या : 280/2022 प्रा०प्र

पंजीबद्ध 46 संयुक्त पत्थरगढी - 5553

प्रार्थी.....

बनाम

राजसमर पत्थरगढी वत्थरगढी प्र - 5553

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956

= आदेश =

दिनांक 3/11/22

प्रार्थी को ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन प्राप्त ~~पत्थरगढी~~ पत्थरगढी हत्का ~~पत्थरगढी~~ तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 553 नम्बर 1674/2 रकबा 0.4553

कुल किता 1 रकबा 0.4553 हैक्टयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य मुत्तादिया के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 3/11/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ बात लिख है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस प्रकार के आदेश से अधिकार अनिलेख में किसी प्रकार की हैस-फैरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी अधिकार निर्वाह किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

= आदेश =

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड स्वेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~पत्थरगढी~~ पत्थरगढी हत्का ~~पत्थरगढी~~ तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 553 आराजी नम्बर 1674/2 रकबा 0.4553

कुल किता 1 रकबा 0.4553 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु दी किये जाने हेतु नू अनिलेख निरीक्षक ~~अनिलेख~~ को 4500/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण नौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की में नौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

नि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा